Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO.18

TO BE ANSWERED ON TUESDAY 4th FEBRUARY, 2025

"IMPACT OF NSS INTEREST RATE REDUCTION ON RETIREES"

No.18

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI

Will the Minister of FINANCE be please to state:-

(a) whether Government is aware that cutting the National Savings Scheme (NSS) interest rate to zero will significantly impact financial stability of retirees; and

(b) if so, the details of immediate steps Government will take to mitigate the financial hardship caused by this sudden policy change, particularly for retirees who depend on this scheme for their income?

ANSWER

FINANCE MINISTER

(**SMT. NIRMALA SITHARAMAN**)

(a) to (b): A statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.18 FOR 4TH February, 2025 BY DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI REGARDING "IMPACT OF NSS INTEREST RATE REDUCTION ON RETIREES"

(a) to (b) The NSS-87 & NSS-92 schemes were introduced on 01.04.1987 & 01.10.1992 without any sunset clause. The total active accounts under all Small Savings Schemes are 39.92 crore, of which the accounts under NSS-87 & NSS-92 are also at 1.37 lakh & 29,000 respectively. Fresh deposit under NSS-87 & NSS-92 were discontinued from 01.10.1992 & 01.11.2002, respectively. The interest rate applicable under these schemes with effect from 01.03.2003 is 7.5%.

Currently, there are several ongoing small savings schemes which provides avenues of risk-free higher returns to investors e.g. Senior Citizen Savings Scheme with Interest rate 8.2%, Sukanya Samriddhi Account Scheme with Interest rate 8.2% and Mahila Savings Certificate Scheme with Interest rate 7.5%, etc. These could be availed for better returns.

Further, necessary action to safeguard the interests of investors has already been taken in Budget FY 2025-26.

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 18
(जिसका उत्तर मंगलवार, 4 फरवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

"एनएसएस के ब्याज दर में कमी का सेवानिवृत्त लोगों पर प्रभाव"

18. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) में ब्याज दर को शून्य कर देने से सेवानिवृत्त लोगों के वित्तीय स्थायित्व पर गहरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस तत्काल नीति परिवर्तन के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा, विशेष रूप से उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो अपनी आय के लिए इस योजना पर निर्भर हैं, तत्काल उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>“एनएसएस के ब्याज दर में कमी का सेवानिवृत्त लोगों पर प्रभाव” के संबंध में डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी द्वारा उठाए गए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में संदर्भित विवरण जिसका उत्तर दिनांक 4 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।</u>

(क) से (ख) एनएसएस-87 और एनएसएस-92 योजनाएं दिनांक 01.04.1987 और दिनांक 01.10.1992 को बिना किसी सनसैट क्लॉज के शुरू की गई थीं। सभी लघु बचत योजनाओं के तहत कुल सक्रिय खातों की संख्या 39.92 करोड़ है, जिनमें से एनएसएस-87 और एनएसएस-92 के तहत खातों की संख्या क्रमशः 1.37 लाख और 29,000 है। एनएसएस-87 और एनएसएस-92 के तहत नए जमा क्रमशः दिनांक 01.10.1992 और दिनांक 01.11.2002 से बंद कर दिए गए थे। दिनांक 01.03.2003 से इन योजनाओं के तहत लागू ब्याज दर 7.5% है।

वर्तमान में, कई लघु बचत योजनाएं चल रही हैं जो निवेशकों को जोखिम रहित उच्च रिटर्न के अवसर प्रदान करती हैं जैसे 8.2% ब्याज दर वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 8.2% ब्याज दर वाली सुकन्या समृद्धि खाता योजना और 7.5% ब्याज दर वाली महिला बचत प्रमाणपत्र योजना आदि। बेहतर रिटर्न के लिए इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

इसके अलावा, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पहले ही की जा चुकी है।

*****

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी का आभार प्रदर्शित करना चाहती हूं। मेरा सवाल NSS87 और NSS92 के बारे में है। जहां डिपोज़िटर की जमा-पूंजी पर ब्याज समाप्त होने के कारण वे इस जमा-पूंजी को निकालना चाहते थे और इस जमा-पूंजी को निकालते समय उनको टैक्स भरना अपेक्षित था, लेकिन माननीय निर्मला जी ने बजट की घोषणा में यह कहा कि वे डिपोज़िटर्स बिना टैक्स भरे अपनी जमा-पूंजी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं हृदय से माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप क्वेश्चन पूछिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः हम जानते हैं कि योजनाएं पुरानी हो जाती हैं, तो उनको बदलना आवश्यक होता है और आने वाले समय में नई पर्याप्त योजना हो सकती है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप सवाल पूछिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः मेरा सवाल यह है कि NSS87 और NSS92 की इस योजना में साल में एक बार ही जमा-पूंजी निकाल सकने का प्रावधान है। जिन बुजुर्ग नागरिकों ने 29 अगस्त से पहले जमा-पूंजी में से एक हिस्सा निकाला था, तो क्या वे टैक्स भरे बिना उनकी उर्वरित रकम निकाल सकते हैं? यह मेरा सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप एक ही सवाल पूछिए। आपको दोबारा मौका मिलेगा।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः सर, इसमें ही एक सवाल और है। मैं बताना चाहती हूं कि लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि नया कानून क्या आया है? NSS ब्याज समाप्त होने के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग एक साल में एक बार ही खाता अपडेट करवाने पोस्ट ऑफिस जाते हैं। क्या सरकार इसके बारे में उनको अवेयर करने के लिए प्रयास कर रही है, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)ः उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जुलाई, 2024 में नोटिफिकेशन के माध्यम से जब ब्याज खत्म किया गया था, तो उस समय डाक विभाग और बैंकों को निर्देशित किया गया था कि उन्हें जमाकर्ताओं को इस योजना में परिवर्तन के विषय के बारे में अवगत कराना है। जैसा कि 2025-26 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि दिनांक 29 अगस्त, 2024 के बाद की निकासी कर मुक्त होगी और एक मुश्त निकालने के लिए सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, तो मैं माननीय सदस्य को इस विषय के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में पूरी जमा-राशि एक बार में निकाल सकते हैं।

श्री उपसभापतिः सेकेंड सप्लीमेंटरी।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः सर, जो पेंशनर्स लंबी अवधि के लिए एनएसएस पर निर्भर रहे हैं, तो क्या सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए विचार कर रही है और क्या मंत्री महोदय उनको वैकल्पिक वित्तीय उपकरण और योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकती हैं?

श्री पंकज चौधरीः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में कई छोटी बचत योजनाएं चल रही हैं, जो निवेशकों को जोखिम मुक्त उच्च रिटर्न के रास्ते प्रदान करती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, तो 8.2 ब्याज दर वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना चल रही है, 7.5 ब्याज दर वाली महिला बचत योजना चल रही है। ऐसी अनके योजनाएं सरकार पहले से चला रही है।

श्री उपसभापतिः सुश्री सुष्मिता देव, थर्ड सप्लीमेंटरी।

MS. SUSHMITA DEV: Sir, the interest rates on small savings, I believe, are at their lowest. As the small savings schemes play an important role in the economy, I would like to ask the hon. Finance Minister, through you, Sir, as to what measures the Government has taken, if at all, to increase the volume of small savings in the economy.

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि छोटी बचत योजना के लिए पहले से ही स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसमें मैंने बताया कि 8.2 परसेंट और 7.5 परसेंट की योजनाएं चल रही हैं और उससे भी बेहतर योजनाएं चल रही हैं।

सुश्री कविता पाटीदार: माननीय उपसभापति महोदय, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र योजना से देश में नारी सशक्तिकरण के साथ ही उनका आर्थिक मजबूतीकरण भी हुआ है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार मानती हूं। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सरकार योजनाओं के माध्यम से माताओं एवं बहनों के कल्याण के लिए इस दिशा में और क्या प्रयास कर रही है?

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति महोदय, यह सवाल एनएसएस का था, लेकिन माननीय सदस्या ने जो पूछा है, मैं उस प्रश्न पर उन्हें बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की शुरू से ही सदैव यह चिंता रही है कि समाज के सभी वर्गों के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए विशेष योगदान दिया जाए। एसएचजी ग्रुप के माध्यम से या अन्य सभी योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाया जाए।

डा. अशोक कुमार मित्तल: उपसभापति जी, हमारे देश में 265 करोड़ बैंक खातों में 212 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स एकाउंट्स हैं। इनमें 16 करोड़ करंट एकाउंट्स में से 20 लाख करोड़ प्लस और 220 करोड़ सेविंग एकाउंट्स में कुल 66 लाख करोड़ प्लस हैं। महोदय, 27 करोड़ टर्म डिपॉजिट्स में तकरीबन 12 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, लेकिन CASA के नाम पर बैंक मुनाफाखोरी करते हैं और सेविंग एकाउंट्स पर सिर्फ 2-3 प्रतिशत ब्याज़ देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। मतलब, हमारे गरीब लोग और बुज़र्ग लोग जो पैसा जमा करा रहे हैं, उनको उसकी वास्तविक वैल्यू नहीं मिल पा रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल: उपसभापति जी, सवाल यह है कि क्या सरकार आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 7 के तहत आरबीआई को निदेश देगी की सेविंग बैंक एकाउंट्स की ब्याज़ दरों को महंगाई दर के अनुसार बढ़ाया जाए, ताकि सेविंग और एफडी को दी जाने वाली ब्याज़ की दरों के अंतर को 1 से 2 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके, जिससे आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके?

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति महोदय, यह सवाल मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन आरबीआई समय-समय पर इसका परीक्षण करती रहती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No.19.